

>

Title: Election of one member of Rajya Sabha to the Joint Committee on Offices of Profit.

**श्री रेवती रमण सिंह (इलाहाबाद):** अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ

" कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के श्री एस.एस.अहलुवालिया के राज्य सभा से अवकाश प्राप्त करने के कारण उत्पन्न रिक्ति के बाबत एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार राज्य सभा के एक सदस्य को लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के लिए निर्वाचित करे और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति के लिए इस प्रकार निर्वाचित सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे। "

MADAM SPEAKER: The question is:

"That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do elect one Member of Rajya Sabha, in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, to the Joint Committee on Offices of Profit in the vacancy caused by the retirement of Shri S.S.Ahluwalia from Rajya Sabha and do communicate to this House the name of the member so elected by Rajya Sabha to the Joint Committee."

*The motion was adopted.*

—  
*...(Interruptions)*